फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

हरलाल बनाम राजेन्द्र परेवा वगै0

मा संख्या : 17/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपने परिवार के साथ ग्राम बाढ धामस्या तहसील आंधी जिला जयपुर में निवास करता है तथा शान्ति प्रिय व्यक्ति है तथा संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 0.9000है0 स्थित है। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 ता 3 का कोई हक संबंध सरोकार नही है। अप्रार्थी सं0 4 झगडालू प्रवृति हो है जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि पर जबरन बिना किसी अधिकार के कब्जा करना चाहता है तथा बंटवारे का वाद विचाराधीन है तथा जबरन प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर कब्जा करने की मंशा से दिनांक 08.02.2024 को अप्रार्थी सं0 1 ता 3 व अन्य लोगों को साथ लेकर भूमि खसरा नम्बर 58 में घुसकर जबरन दौराने स्टे के बिजली की डिपी रखने का स्ट्रेटचर खडा कर प्रार्थी के हिस्से व कब्जे में जबरन बिजली की डिपी रखकर लाईन डालकर बिजली कनेक्शन जारी कर दिया जबकि अप्रार्थीगण ने दिनांक 26.08.2022 को मुकदमा नं0 80/2022 उनवान भोमाराम वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0 मे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 58 ग्राम बाढ धामस्या में स्थित मे विधुत कनेक्शन जारी नही करें, प्रार्थीगण की मौके पर बिछी हुई पाईप लाईन व मेड को तोडकर नष्ट नही करें, प्रार्थीगणों के काबिज हिस्से से जबरन बेदखल नही करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अतः अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद खुल्ले आम अवहेलना कर जबरन प्रार्थी की भूमि पर न्यायालय के निर्णय से पूर्व स्टे आदेश की अवहेलना कर बिजली के खंभे खडे कर स्ट्रेक्चर का निर्माण कर डिपी रखकर बिजली कनेक्शन जारी किया है, उनके द्वारा किये गये सदोष भंग एवं अवज्ञा के लिए उनके द्वारा दौराने स्टे किये गये अनुचित व अवैध बिजली के खंभे को स्ट्रेक्चर, डिपी व बिजली कनेक्शन को हटवाया जावें एवं उनके द्वारा किये गये गैरकृत्यों के लिए अप्रार्थीगणो को सिविल कारावास से दण्डित किया जावें। वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं0 4 द्वारा ग्राम बाढ धामस्या तहसील आंधी द्वारा कृषि कनेक्शन फवारा योजना के अन्तर्गत दिनांक 13.05.2022 को आवेदन किया गया था जिसमें मांग पत्र दिनांक 25.05.2022 को निकाला गया जिसमें अप्रार्थी सं0 4 द्वारा मांग की राशि 85,950/– रूपये दिनांक 27.05.2022 को ऑनलाईन जमा करवा दी गई मांग पत्र की राशि जमा होने पर जोबऑर्डर सं0 10144057 दिनांक 09.06.2022 को निकाला गया जिसमें दिनांक 29.07.2022 को मौके पर ट्रांस्फार्मर स्टेक्चर व पॉल खडे किये गये थे। परन्तु लाईन खिचने पर विवाद होने पर अप्रार्थी सं0 4 द्वारा दिनांक 15.06.2022 को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी बाबत विधुत कनेक्शन जारी करने की अनुमति प्रदान करने हेतु पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2022 को आदेश दिया कि जो स्टे दिनांक 20.07.2020 को दिया था उसमें बिजली कनेक्शन पर रोक नही है। जो आवश्यक सेवाओं मे है। उक्त आदेश के पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2024 को उक्त प्रार्थना पत्र ही एस.एच.ओ. सी.आई पुलिस इमदाद करके ए.ई.एन. परेवा दिनांक 20.06.2022 के अनुसार कार्य पर रिपोर्ट करे। जिसके पश्चात आदेशानुसार ही	

पूर्व खडे स्टेक्चर पर ट्रांस्फार्मर रखकर व लाईन दिनांक 08.02.2024 को खिची गई थी परन्तु उक्त दिनांक को कनेक्शन चालू नही किया गया था। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा किसी प्रकार से आदेश की अवहेलना नही की गई। जिस कारण अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्व किसी प्रकार की कोई कन्टेम्पट की कार्यवाही नही बनती है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। प्रार्थी स्वयं झगडालू व्यक्ति है जो कि विधुत विभाग के कर्मचारियों के साथ गाली गलौच करता है एवं मरने मारने की धमकी देता है तथा मौके पर औरतों को आगे कर झुठे मुकदमे मे फसाने की धमकी देता है इस लिए पुलिस इमदाद मे उक्त कनेक्शन की कार्यवाही करने के आदेश दिये थे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने की कृपा करें।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थना पत्र में कथित/वर्णित विधुत कनेक्शन से संबंधित कार्यवाही माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही की गई है तथा प्रार्थी द्वारा पत्रावली में ऐसे कोई साक्ष्य/ तथ्य पेश नही किये गये है कि जिससे जाहिर होता हो कि अप्रार्थीगणों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशो की अवहेलना करते हुए गैरकृत्य किये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम (2)ए सीपीसी को अवीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम (2)ए सीपीसी को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।